न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 226 / 2026

16.04.2026

आवेदक **ओम प्रकाश सिंह** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **हरिणमार थाना काण्ड संख्या 16 / 2019** अन्तर्गत **धारा 341, 323, 447, 308 / 34 भारतीय न्याय संहिता** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक ब्यास कुमार दिनांक 13.07.2019 दिन शनीवार समय नौ बजे रात में मेरे पिता जी श्रिष्टानंद सिंह और मैं अपने दरवाजे पर बैठा था । उसी समय अरविन्द सिंह, राज कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह और बिट्टु कुमार सिंह लाठी एवं बंदूक लेकर मेरे दरवाजे पर आये और पूर्व दुश्मनी के कारण मेरे पिताजी को मारपीट करने लगे। जब मैं एवं मेरे पिताजी चिल्लाये तो हल्ला सुनकर मेरे परिवार के अन्य सदस्य आये, तब चारों मारने वाला आदमी भाग गये।

16.04.26

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत केस ब्यास कुमार के लिखित आवेदन पर दाखिल किया गया है। एक अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1025 / 2021 अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल किया गया था, जिसे अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा पुलिस द्वारा धारा 41 (1) दंड प्रकिया संहिता के तहत बंधपत्र लेकर मुक्त करने एवं पुलिस गिरफ्तारी की आशंका नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया गया और इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और अनुसंधानक के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पिम कर दिया गया है। विद्वान न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 341, 323, 447, 308 / 34 भा0 द0 वि0 के तहत संज्ञान लेकर सम्मन निर्गत कर दिया गया। अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 41 (1) दंड प्रकिया संहिता का लाभ अनुसंधानक द्वारा दिया जा चुका है और अन्य सह–अभियुक्तों को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस0 नंबर 50310 / 2024 के द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा दी गयी है और अभिलेख पर उपलब्ध जख्म सामान्य प्रकृति का है। अतः, आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त संज्ञान पश्चात् सम्मन पर उपस्थित हुए हैं और इसके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 447, 308 / 34 भा0 द0 वि0 का संज्ञान लिया जा चुका है। अतः, इसका आवेदन खारिज किया जाय।

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 226 / 2026

जमानत आदेश दिनांक 16.04.2026

–2–

लगातार

16.04.2026

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि सह–अभियुक्तों को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस0 संख्या 50310 / 2024, दिनांक 29.08.2024 के द्वारा जमानत की सुविधा दी गयी। जख्म प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि जख्म सामान्य प्रकृति का है, जो कड़े तथा भोथड़े हथियार से कारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2019 को आवेदक अभियुक्त तथा अन्य सह अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान आदेश पारित करते हुए सम्मन निर्गत किया जा चुका है। अतः, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा मो0 10,000 / – (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं सहित धारा 438 (2) दंड प्रकिया संहिता का शपथपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है और साथ ही अभियुक्त प्रत्येक तिथि को हाजिरी एवं पैरवी दाखिल करेंगे। इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 16.04.2026